

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी रिट याचिका संख्या 139/2015

राजेन्द्र कुमार गोयल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

07.02.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री कपिल जैन, अधिवक्ता वास्ते,
श्री अनूप ढंढ, अधिवक्ता— याची की ओर से।
श्री एन एस शेखावत, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल जैन ने
उपस्थित होकर अवसर चाहा।

प्रार्थनानुसार अवसर दिया जाता है। प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः
सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति